दिनांक 04.06.2025
प्रेस विज्ञप्ति 05 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस०टी०एफ०–कार लोन फ्राड करने वाले गिरोह के सरगना को एस०टी०एफ० द्वारा किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 03–06–2025 को एस०टी०एफ० उ०प्र० को विभिन्न बैंको में किराये के मकान का पता दर्शाते हुए गाड़ी खरीदने के नाम पर बैंक से लोन लेने वाले तथा मकान का पता आधार कार्ड में चैज कर बैंक में गाड़ी की किस्त जमा न करते हुए उन गाड़ियों को भारी मुनाफे मे बेचने वाले गैंग के सरगना को थाना भावनपुर, जनपद मेरठ क्षेत्र से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1. अनंगपाल नागर पुत्र महक चन्द नि० ग्राम छुछाई, थाना किठौर, जनपद मेरठ।

बरामदगीः–

1. सात अदद आधार कार्ड
2. पांच अदद एटीएम कार्ड
3. चार अदद पैन कार्ड
4. पांच अदद चैक बुक
5. एक अदद पास बुक
6. एक अदद उद्यम / व्यवसाय प्रमाण पत्र
7. एक फोरच्यूनर गाडी (टेम्प्रेरी नं० टी0325 डीएल 0300सी) (रजि० नं० यूपी–15 ईयू 7979)

8 एक स्कार्पियो एन गाडी नं० यूपी–15 ईक्यू 9649

गिरफ्तारी का स्थान / दिनांकः–

दिनाक–03–06–2025 स्थानः कृष्णा पब्लिक स्कूल, थाना भावनपुर, जनपद मेरठ, समय 20.00 बजे ।

एसटीएफ, उत्तर प्रदेश को विगत समय से विभिन्न बैंको मे किराये के मकान का पता दर्शाते हुए गाडी खरीदने के नाम पर लोन लेने वाले तथा आधार कार्ड मे मकान

का पता चैंज कर बैंको मे गाड़ी की किस्त जमा न कर उन गाडियों को भारी मुनाफे मे बेचने वाले गैंग के सक्रिय होकर अपराध करने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस०टी०एफ० की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस०टी०एफ० फील्ड इकाई, मेरठ के पर्यवेक्षण में एस०टी०एफ० फील्ड इकाई, मेरठ द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

एस०टी०एफ० मेरठ की टीम निरीक्षक रविन्द्र कुमार के नेतृत्व उ०नि० श्री योगेन्द्र पाल सिंह, उ०नि० श्री जयवीर सिंह, हे०कां० रकम सिंह, हे०कां० आकाशदीप, हे०कां० विनय कुमार, हे०कां० भूपेन्द्र सिंह आपराधिक अभिसूचना संकलन के सम्बन्ध में जनपद मेरठ में मामूर थी कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि बैंक में किराये के मकान का पता दर्शाते हुए बैंक से गाडी खरीदने के नाम पर लोन लेने वाले तथा मकान का पता आधार कार्ड में चेंज कर बैंक मे गाडी की किस्त जमा न करते हुए उन गाड़ियों को भारी मुनाफे में बेचने वाले फ्राड व्यक्तियों अनंगपाल नागर किला परिक्षित रोड पर कृष्णा पब्लिक स्कूल के पास अपने किसी साथी से मिलने के लिए आने वाला है। मुखबिर की इस सूचना पर विश्वास कर एसटीएफ टीम द्वारा उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए मुखबिर को साथ लेकर उसके बताये गये स्थान कृष्णा पब्लिक स्कूल के पास से मुखबिर की निशादेही पर उपरोक्त अभियुक्त को हिरासत में लेकर उपरोक्तानुसार बरामदगी की गयी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त से की गयी पूछताछ पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये हैंः–</u>

- गिरफ्तार अभियुक्त अपने साथियों के साथ मिलकर एक आपराधिक षडयंत्र के तहत योजना बनाकर अलग–अलग बैंको मे जाकर महंगी गाड़ियों को खरीदने हेतु अपने साथियों के नाम पर उनका फाईनेन्स कराता है तथा गाडी फाईनेंस होने पर बैंक में दिये गये पते से सम्बन्धित स्थान को छोडकर अन्यत्र स्थान पर रहने लगते हैं ताकि उन्हें फाईनैस की किस्त न भरनी पडे। इसके पश्चात कुछ महीनो के बाद यह लोग लोन पर ली गयी उस गाडी को भारी मुनाफे पर बेच देते हैं।
- इसके अतिरिक्त गिरफ्तार अभियुक्त ने अपनी महिला मित्र के नाम पर उद्यम/यूनिट का नाम प्रीति डेरी में पलेट नं0–601 नेक्टर टावर अंसल टाउन मोदीपुरम मेरठ का पता दर्शाते हुए ऑनलाईन फर्जी रजिस्ट्रेशन कराया गा था, जबकि उपरोक्त पते पर प्रीति डेरी नाम से कोई उद्यम/यूनिट नही थी।

- गिर० अभियुक्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने साथियों के नाम से भिन्न–भिन्न बैंको में फाईनैंस की गयी गाडी की रकम प्राप्त करने व आईटीआर में एक खाते से दूसरे खाते में पैसा आदान प्रदान कर बैंक में सिविल स्कोर दिखाने हेतु खाते खुलवाये गये. जिनमें सही पता अंकित नहीं किया गया।
- अभियुक्त के कब्जे से बरामद उपरोक्त फोरच्यूनर गाडी गिर० अभियुक्त ने अपने ही गांव के रहने वाले अपने साथी के नाम से एसबीआई शाखा ब्रहमपुरी मेरठ से माह मार्च 2025 में 40 लाख रूपये में फाईनैस करायी थी।
- इसके उपरान्त गिर० अभियुक्त अनंगपाल नागर से इण्डियन बैंक शाखा यूनिवर्सिटी मेरठ से फाईनेंस हुई स्कार्पियो एन गाडी नं०–यूपी–15 ईक्यू 9649 वर्ष 2024 में अपने मित्र महिला के नाम से इण्डियन बैंक शाखा यूनिवर्सिटी मेरठ से 18 लाख 50 हजार रूपये में फाईनैंस करायी थी, जिसमें महिला मित्र के पति का नाम एंव पता भी गलत दर्शाया गया था तथा गाडी फाईनैंस होने के बाद अपनी महिला मित्र को दिये गये पते से हटवा दिया था और उपरोक्त गाडी को 11 लाख रूपये में माह फरवरी 2025 मे मोहित सिवाच नामक व्यक्ति के पास गिरवी रख दी।
- गिर० अभियुक्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला मित्र के नाम एक गाडी हाईराईडर नं० यूपी–15 ईएम 5889 को वर्ष 2024 में टोयटा फाईनैंस कम्पनी से 18 लाख रूपये में फाईनैंस करायी थी जिसे प्रदीप शर्मा नामक व्यक्ति प्रयोग कर रहा है।
- इसके अतिरिक्त गिर० अभियुक्त ने एक गाडी हाई राईडर नं० यूपी–15 ईयू 2896 आईसीआईसीआई गुडगांव बैंक से अपने साथी के फर्जी पते पर 18 लाख में फाईनैस करायी थी, जो स्पिनी कम्पनी राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद को 16 लाख रूपये में बेच दी।
- एक गाडी फोरच्यूनर नं0 यूपी–15 ईएम 7999 मैने अपनी पत्नी के नाम एसबीआई ब्रहमपुरी मेरठ से 40 लाख रूपये में फाईनैंस करायी, और उसे कुछ समय बाद विक्की पण्डित निवासी आबूलेन मेरठ को 14 लाख रूपये में बेच दी।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना भावनपुर, जिला मेरठ पर मु०अ०सं० 175/2025 धारा 318(4)/336(3)/338/340(2)/61(2) क बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रेतर कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–63

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **240 विजिटिंग कार्ड, 85 इंटरव्यू फार्म, 02 बुकलेट (जॉब से सम्बन्धित), 20 ट्रैनिंग लेटर, 02 जॉइनिंग लेटर, 01 माईक आईडी, आफिस के नाम के पम्पलेट, 01 मुहर**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइन फोन आदि**
- **01 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 04.06.2025 को थाना सेक्टर–63 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बहलोलपुर गोल चक्कर के पास से अभियुक्त वसीम उर्फ रविन्द्र उर्फ कपिल उर्फ पीयूष उर्फ रोहित कुमार उर्फ रोहित चन्देला उर्फ राहुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 240 विजिटिंग कार्ड, 85 इंटरव्यू फार्म, 02 बुकलेट (जॉब से सम्बन्धित), 20 ट्रैनिंग लेटर, 02 जॉइनिंग लेटर, 01 माईक आईडी, आफिस के नाम के पम्पलेट, 01 मुहर, घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइन फोन आदि, 01 चार पहिया वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन कर विभिन्न कम्पनियों में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की घटना कारित करते है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–63 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–वसीम अहमद उर्फ रविन्द्र उर्फ कपिल उर्फ पीयूष उर्फ रोहित कुमार उर्फ रोहित चन्देला उर्फ राहुल निवासी भक्षडा वाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर, हालपता ग्राम हल्द्वानी थाना ईकोटेक–3 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–240 विजिटिंग कार्ड, 85 इंटरव्यू फार्म, 02 बुकलेट (जॉब से सम्बन्धित), 20 ट्रैनिंग लेटर, 02 जॉइनिंग लेटर, 01 माईक आईडी, आफिस के नाम के पम्पलेट, 01 मुहर।

2–घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइन फोन आदि।

3–01 चार पहिया वाहन।

- **<u>जनपद हापुड़/थाना गढ़मुक्तेश्वर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 70–70 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हापुड़ द्वारा थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201/365/120बी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–राजू 2–गौतम को आजीवन कारावास व 70–70 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहपुर/थाना बकेवर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना बकेवर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रवि 2–अभियुक्ता को सश्रम आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहपुर/थाना ललौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना ललौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–फूलचन्द्र 2–लाला उर्फ नन्द किशोर 3–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोण्डा/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सतीश कुमार 2–देवशरण को सश्रम आजीवन कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————